

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर राशमी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प :- अटल सेवा केन्द्र ~~राशमी~~ **मरणी**राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018

--: आदेश :-

प्रोसं० :- **35/2018**
85/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार हल्का **मरणी** भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त **कड** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा **मरणी** तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् **१९७१-७५** में खाता संख्या **५०१, ५०२, ५०३** में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	मरणी	५०१ ५०२ ५०३	बोला	रेगट



पंकज शर्मा
(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी,
जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(85)2018

दिनांक :- 10/5/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शाघ किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री **देवी लाल गुठ** को सूचनार्थ।
मिथरान शर्मा
मरणी

पंकज शर्मा
(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी,
जिला चित्तौड़गढ़